ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.21 से 31.03.23

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती नीलम कुमारी	01-04-2021 से 31-03-2023 तक

सचिव :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री रमेश चंद	01-04-2021 से 23-12-2021 तक
2	श्री मोहिंदर सिंह	24-12-2021 से 31-03-2023 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कोट के लेखों अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.50
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	37.10
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	1.70
5	8(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.53
6	8(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.04
7	9(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	02.21
8	9(ख)	क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना	4.61

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है ।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21-03-2024 से 28-03-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	01/22	07/21
2022-23	02/23	06/22

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-175 दिनांक 28.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत कोट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्रोत व अन्य अनुदान:- ग्राम पंचायत कोट के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्व: स्रोत की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	353784.29	642169.96	995954.25	451272	544682.25
2022-23	544682.25	2173787	2718469.25	1939259.75	779209.5

दिनांक 31.03.23 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **779209.5**

दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	Account No.	Name of Head	Closing balance as on 31.03.2023
H.P State Co-operative Bank, Baldwada	30210100007	Own Source & other grants	829336.25
H.P State Co-operative Bank, Baldwada	30210113683	14th FC	0
H.P State Co-operative Bank, Baldwada	30210110685	IWMP	0
			829336.25

Bank Reconcilation as on 31-03-2023	
Balance as per cash book	**779209.50**
Balance as per Pass book	**829336.25**
Net Difference	**50126.75**

(ii)15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत कोट के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	90690	1821163	1911853	0	1911853
2022-23	1911853	2857066	4768919	1837548.5	2931370.5

Bank Reconcilation as on 31-03-23	
Balance as per cash book	2931370.5
Balance as per Pass book A/C no. 30210114501	2931370.50
Net Difference	**Nill**

(iii) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	0	4889212	0	4889212	4889212	0
2022-23	0	2572157.25	0	2572157.25	2572157.25	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.50 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹50126.75 की राशि का अन्तर पाया गया । अत: मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये ।

5. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत कोट के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹37.10 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव, ग्राम पंचायत कोट द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक अनुदान ₹37,10,580 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i), 4(ii)** में दिया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, *कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।*

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :-

ग्राम पंचायत कोट द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2021** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹1.70 लाख की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत कोट के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹170160** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.02 लाख की वसूली न करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में 200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत कोट द्वारा अवधि 01.04.21 से 31.03.2023 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹1400** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	Nill	50823	विवेकानंद सुपुत्र श्री हंसराज	25.10.2020	08.05.2021	400	200	200
2	Nill	50824	पूजा देवी सुपुत्री श्री संतोष कुमार	25.04.2021	06.05.2021	400	200	200
3	Nill	50826	पंकज शर्मा सुपुत्र श्री हरिद्रूत्त शर्मा	30.04.2021	20.05.2021	400	200	200
4	Nill	50827	गौरी दत्त सुपुत्र श्री दलीप चंद	08.05.2021	10.06.2021	400	200	200
5	Nill	50828	अरुण कुमार सुपुत्र श्री जगदीश चंद	19.06.2021	28.06.2021	400	200	200
6	Nill	50830	अमित दुबे सुपुत्र श्री चुनिलाल	19.06.2021	02.07.2021	400	200	200
7	Nill	50861	नन्द लाल सुपुत्र श्री सीता राम	19.01.2022	28.03.2022	400	200	200
								1400

सचिव ग्राम पंचायत कोट को अंकेक्षण अधियाचना संख्याःडी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-163 दिनांक 22.03.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नही दोहराया जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(ग) दुकान किराए की वसूली रजिस्टर व अनुबंध तैयार न करने बारे :-

पंचायत की स्वः स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दुकान किराए की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया है और न ही अनुबंध पत्र तैयार किए गए है । अतः दिनांक 01.04.21 से 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की जा सकी थी। सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-164 दिनांक 22.03.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि दुकान किराए की मांग तथा संग्रह रजिस्टर का रख-रखाव जल्द ही किया जाएगा व दुकान मालिकों से अनुबंध पत्र तैयार किया जाएगा । अतः दुकान किराए का मांग तथा संग्रह रजिस्टर का नियमानुसार अनुरक्षण करते हुए वसूली योग्य राशि की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।

7. राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नहीं किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल लैपटाप कम्प्युटर अलमिरा,

कुर्सियाँ ही दर्ज की गयी थी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे हीटर पंखे बर्तन इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 39 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पत्तियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पत्तियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उल्लंघन था जोकि गम्भीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-165 दिनांक 23.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

8 (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.53 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु

ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹52779.20 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (ङ)** में सलग्न है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-170 दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.04 लाख की वसूली न करना :-

सचिव, ग्राम पंचायत कोट द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 4036.42 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** में संलग्न है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-171 दिनांक 27.03.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

9 **(क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.21 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹221034 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री

का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना सम्भव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि
1	094/19.05.2021	सामान्य निधि	शैलजा मेडिकल स्टोर प्लासी चौक बल्द्वाड़ा	सेनीटाइजर व हैंड ग्लोव	24280
2	2566/12.05.2021	सामान्य निधि	एम/एस प्रकाश चंद गाँव व डाकघर स्मैला तहसील बल्द्वाड़ा	हार्डवेर आइटम	49501
3	A000044/22.07.2022	15वां वित्त आयोग	हेम राज चिरंजी लाल गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा	सरिया	101753
4	A000030/16.06.2022	एसबीएम	हेम राज चिरंजी लाल गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा	सरिया	21080
5	A000031/16.06.2022	एसबीएम	हेम राज चिरंजी लाल गाँव व डाकघर बल्द्वाड़ा तहसील बल्द्वाड़ा	सरिया	24420
					221034

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-168 दिनांक 26.03.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत कोट के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) क्रय की गई सामग्री ₹ 04.61 लाख का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी निम्न विवरणानुसार ₹ 461030 की क्रय की गई सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था ।

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	मात्रा CUM	भुगतान राशि
	MANREGA				
1	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	202/02.08.2020	रेत	19.00	30761.95
2	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	202/02.08.2020	बजरी	15.78	25548.61
3	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	235/11.10.2020	रेत	7.50	11426.57

4	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	235/11.10.2020	बजरी	14.20	21638.1
5	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	240/01.11.2020	रेत	8.00	12952.4
6	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	240/01.11.2020	बजरी	20.00	32381
7	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	238/01.11.2020	रेत	7.50	12142.87
8	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	238/01.11.2020	बजरी	14.40	23314.32
9	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	204/2.08.2020	रेत	15.50	25095.27
10	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	204/2.08.2020	बजरी	9.70	15704.78

11	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	201/02.08.2020	रेत	7.45	12061.92
12	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	201/02.08.2020	बजरी	5.20	8419.06
13	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	239/01.11.2020	रेत	8.90	14409.54
14	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	239/01.11.2020	बजरी	22.80	36914.34
15	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	256/11.11.2020	रेत	7.50	12142.87
16	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	256/11.11.2020	बजरी	13.75	22261.94
17	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	267/03.12.2020	रेत	13.50	21857.17

18	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	267/03.12.2020	बजरी	12.00	19428.66
19	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	267/03.12.2020	बोल्डर	12.00	12571.44
20	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	122/12.02.2020	रेत	7.40	11276.19
21	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	122/12.02.2020	बजरी	14.00	21333.34
22	एम/एस ठाकुर एनतेरप्राइस गाँव व डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0367/18.10.2020	रेत	7.50	10328.55
23	एम/एस ठाकुर एनतेरप्राइस गाँव व डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0367/18.10.2020	बजरी	14.25	19095
24	एम/एस ठाकुर एनतेरप्राइस गाँव व डाकघर भांबला	0367/18.10.2020	बोल्डर	9.20	7386.31

	तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी				
25	एम/एस ठाकुर एनतेरप्राइस गाँव व डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0351/02.02.2020	रेत	6.00	8262.84
26	एम/एस ठाकुर एनतेरप्राइस गाँव व डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0351/02.02.2020	बजरी	9.19	12314.6
				कुल योग	**461030**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-174 दिनांक 28.03.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव, ग्राम पंचायत कोट के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि क्रय की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज भण्डार / स्टॉक रजिस्टर में करने के उपरान्त पुष्टि करवा ली जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है की स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन से प्राप्त बिलो पर ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान किया जाना :-

ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी (हि० प्र ०) की अवधि 4/21 से 3/23 के अंकेक्षण के दौरान 15वां वित्त आयोग के व्यय वाउचरों की जांच पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन से सीमेंट की खरीद पर प्राप्त बिलों के एवज में

₹1443.5 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित व अनुचित प्रक्रिया है ।जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या	कार्य का नाम	सीमेंट बैग की मात्रा	भुगतान योग्य राशि (₹)	वास्तविक भुगतान	अन्तर
1	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	CS060-22-0210453 dated 30-12-2022	c/o moksh dham darkohal	83	83 @ 350.27 = 29072	29248	176
2	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-22-0210456 dated 30-12-2022	c/o community hall kot	68	68 @ 350.27 = 23818	24086	268
3	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-22-0227182 dated 19-01-2023	c/o wah road to bachwara	49	49 @ 350.27 = 17163	17204.5	41.5
4	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-22-0227128 dated 19-01-2023	concrete link road panchayat ghar to kot	49	49 @ 350.27 = 17163	17204.5	41.5
5	हिमाचल प्रदेश सिविल	cs060-22-0227120 dated 19-	c/o link road police station to	49	49 @ 350.27 = 17163	17204.5	41.5

	सप्लाई कार्पोरेशन	01-2023	chand ram house				
6	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-22-0210461 dated 30-12-2022	c/o bawdi malhotra house	9	9 @ 350.27 = 3152	3440	288
7	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-22-0210469 dated 30-12-2022	c/o bawdi near plasy	31	31 @ 350.27 = 10858	11011	153
8	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-22-0227208 dated 19-01-2023	c/o badminton court plasi	32	32 @ 350.27 = 11209	11355	146
9	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-22-0227210 dated 19-01-2023	c/o road near dalip house to chandroli	9	9 @ 350.27 = 3152	3440	288
						कुल योग	**1443.5**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः संख्याः डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-169 दिनांक 26.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को किए गए भुगतान के सम्बन्ध में अधिक भुगतान की गयी या तो

वसूली कर दी जाएगी अन्यथा अधिक मूल्य के बराबर की राशि से सीमेंट बैग खरीद कर उपरोक्त राशि को समायोजित कर दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि अधिक भुगतान की गयी राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा करने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(घ) भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्टरोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता ।

ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर जिला मण्डी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्टरोल के तहद की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्टरोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था । अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्टरोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम की स्पष्ट अवहेलना है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-173 दिनांक 28.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को

अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ङ) ₹0.34 लाख के भुगतान बिलों/वाउचर को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे:-

ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी हि० प्र० की अवधि 1.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कोट द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹34608 के भुगतान बिलों/वाउचर को संबन्धित नस्ति में संलग्न नहीं किया गया था और न ही अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

Sr. No	Name	Voucher no.	Head	Cash book page no.	Item Name	Remarks	Amount (₹)
1	Sharma Trader	07/06.07.2021	General Head	4	Not Mention	Bill Not Present	1800
2	Sada Nand	08/06.07.2021	General Head	8	Jal Pan	Bill Not Present	980
3	Prakash Chand	11/10.08.2021	General Head	6	Not Mention	Bill Not Present	4800
4	Rampal	12/10.08.2021	General Head	6	Not Mention	Bill Not Present	9000
5	Sharma Trader	17/05.10.2021	General Head	8	Not Mention	Bill Not Present	2228
6	Sada Nand	22/11.10.2021	General Head	9	Jal Pan	Bill Not Present	1300
7	Naveen Sharma	23/03.11.2021	General Head	9	Not Mention	Bill Not Present	9500
8	Sada Nand	24/13.12.2021	General Head	11	Jal Pan	Bill Not Present	5000
							34608

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-166 दिनांक 26.03.2024 ग्राम पंचायत कोट के सचिव के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बिल प्राप्त करके अंकेक्षण

में प्रस्तुत कर दिया जाएगा व इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । उत्तर संतोषजनक नहीं था । अतः भुगतान बिलों को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

13 JUN 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 13/6
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष नं0 —0177—2626670

2767 - 2771 का0/ग्रा0

पृष्ठांकन संख्या:— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 38/2017 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

13 JUN 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 15/6
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष नं0 —0177—2626670

का0/ग्रा0

परिशिष्ट-"क" पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**विवरण**
1	पैरा-3	**अनिर्णीत**
2	पैरा-4.1	अनिर्णीत
3	पैरा-4.2	अनिर्णीत
4	पैरा-5	अनिर्णीत
5	पैरा-6	अनिर्णीत
6	पैरा-7	अनिर्णीत
7	पैरा-8	अनिर्णीत
8	पैरा-9	अनिर्णीत
9	पैरा-10	अनिर्णीत
10	पैरा-11	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	10
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	9
अवधि 01.04.14 से 31.03.2023 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	19

पैरा संख्या — 4 (i)

(25)

Financial position of OWN sources & other grants in aid of Gram Panchyat Kot					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	353784.29	642169.96	995954.25	451272	544682.25
2022-23	544682.25	2173787	2718469.25	1939259.75	779209.5

परिशिष्ठ-(ग)
पैरा संख्या —4 (ii)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat Kot					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	90690	1821163	1911853	0	1911853
2022-23	1911853	2857066	4768919	1837548.5	2931370.5

परिशिष्ठ — (घ)
पैरा संख्या — 6 (क)

ग्राम पंचायत कोट गृह कर रिपोर्ट

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	पिछला शेष	गृह कर की दर	वर्ष के दौरान बसूली योग्य राशी	कुल बसूली योग्य राशी	बसूल की गई राशी	बकाया गृह कर की राशी
2021-22	1550	135160=00	20=00	31000=00	166160=00	32800=00	133360=00
2022-23	1850	133360=00	20-00	37000=00	170360=00	200=00	170160=00

सचिव
ग्राम पंचायत कोट
वि. ख. गोपालपुर, जिला मण्डी (हि.

परिशिष्ठ –(ड.)

Details of Royalty >> पैरा संख्या – 8 (क)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	15वां वित्त आयोग								
1	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0024/22.07.2022	रेत	7686.46	4.25	1.62	6.89	80	550.80
2	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0024/22.07.2022	रेत	6472.15	4.25	1.62	6.89	80	550.80
3	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0024/22.07.2022	बजरी	19416.46	12.75	1.52	19.38	80	1550.40
4	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0023/22.07.2022	रेत	15372	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
5	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0023/22.07.2022	बजरी	12944	8.50	1.52	12.92	80	1033.60
6	वीरेंदर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर जहमत तहसील बाल्डवाड़ा जिला मंडी	00060/22.07.2022	पत्थर	16190.54	8.50	2.24	19.04	80	1523.20
7	वीरेंदर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर जहमत तहसील बाल्डवाड़ा जिला मंडी	00060/22.07.2022	बोल्डर	4133.32	3.50	2.24	7.84	80	627.20
8	वीरेंदर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर जहमत तहसील बाल्डवाड़ा जिला मंडी	0059/22.07.2022	बोल्डर	3542.85	3.00	2.24	6.72	80	537.60
	एसबीएम								
9	वीरेंदर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर जहमत तहसील बाल्डवाड़ा जिला मंडी	0049/16.06.2022	पत्थर	28571.55	15.00	2.24	33.60	80	2688.00
10	वीरेंदर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर जहमत तहसील बाल्डवाड़ा जिला मंडी	0048/06.06.2022	पत्थर	28571.55	15.00	2.24	33.60	80	2688.00
11	वीरेंदर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर जहमत तहसील बाल्डवाड़ा जिला मंडी	0047/06.06.2022	पत्थर	28571.55	15.00	2.24	33.60	80	2688.00
12	वीरेंदर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव व डाकघर जहमत तहसील बाल्डवाड़ा जिला मंडी	0050/16.06.2022	पत्थर	28571.55	15.00	2.24	33.60	80	2688.00
13	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0022/16.06.2022	रेत	12944.31	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
14	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0022/16.06.2022	बजरी	3045.72	2.00	1.52	3.04	80	243.20
15	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0021/16.06.2022	रेत	12944.31	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
16	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0021/16.06.2022	बजरी	3045.72	2.00	1.52	3.04	80	243.20
17	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0020/16.06.2022	रेत	12944.31	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
18	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0020/16.06.2022	बजरी	3045.72	2.00	1.52	3.04	80	243.20
19	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0019/16.06.2022	रेत	12944.31	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
20	कश्यप एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर हवानी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर	0019/16.06.2022	बजरी	3045.72	2.00	1.52	3.04	80	243.20
	मनरेगा								
21	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	202/02.08.2020	रेत	30761.95	19.00	1.62	30.78	60	1846.80
22	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	202/02.08.2020	बजरी	25548.61	15.78	1.52	23.99	60	1439.14
23	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	235/11.10.2020	रेत	11426.57	7.50	1.62	12.15	60	729.00
24	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	235/11.10.2020	बजरी	21636.1	14.20	1.52	21.58	60	1295.04
25	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	240/01.11.2020	रेत	12952.4	8.00	1.62	12.96	60	777.60
26	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	240/01.11.2020	बजरी	32381	20.00	1.52	30.40	60	1824.00
27	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	238/01.11.2020	रेत	12142.87	7.50	1.62	12.15	60	729.00
28	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	238/01.11.2020	बजरी	23314.32	14.40	1.52	21.89	60	1313.28
29	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	204/2.08.2020	रेत	25095.27	15.50	1.62	25.11	60	1506.60

30	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	204/2.08.2020	बजरी	15704.78	9.70	1.52	14.74	60	884.64
31	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	201/02.08.2020	रेत	12061.92	7.45	1.62	12.07	60	724.14
32	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	201/02.08.2020	बजरी	8419.06	5.20	1.52	7.90	60	474.24
33	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	239/01.11.2020	रेत	14409.54	8.90	1.62	14.42	60	865.08
34	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	239/01.11.2020	बजरी	36914.34	22.80	1.52	34.66	60	2079.36
35	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	256/11.11.2020	रेत	12142.87	7.50	1.62	12.15	60	729.00
36	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	256/11.11.2020	बजरी	22261.94	13.75	1.52	20.90	60	1254.00
37	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	267/03.12.2020	रेत	21857.17	13.50	1.62	21.87	60	1312.20
38	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	267/03.12.2020	बजरी	19428.66	12.00	1.52	18.24	60	1094.40
39	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	267/03.12.2020	बोल्डर	12571.44	12.00	2.24	26.88	60	1612.80
40	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	122/12.02.2020	रेत	11276.19	7.40	1.62	11.99	60	719.28
41	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	122/12.02.2020	बजरी	21333.34	14.00	1.52	21.28	60	1276.80
42	एम/एस ठाकुर एनतेरप्राइस गाँव व डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0367/18.10.2020	रेत	10328.55	7.50	1.62	12.15	60	729.00
43	एम/एस ठाकुर एनतेरप्राइस गाँव व डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0367/18.10.2020	बजरी	19095	14.25	1.52	21.66	60	1299.60
44	एम/एस ठाकुर एनतेरप्राइस गाँव व डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0367/18.10.2020	बोल्डर	7386.31	9.20	2.24	20.61	60	1236.48
45	एम/एस ठाकुर एनतेरप्राइस गाँव व डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0351/02.02.2020	रेत	8262.84	6.00	1.62	9.72	60	583.20
46	एम/एस ठाकुर एनतेरप्राइस गाँव व डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	0351/02.02.2020	बजरी	12314.6	9.19	1.52	13.97	60	838.13
									52779.20

परिशिष्ट -(च)

Detail of TDS → पैरा संख्या - 8(ख)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	मनरेगा					
1	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	202/02.08.2020	रेत	30761.95	1.00%	307.62
2	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	202/02.08.2020	बजरी	25548.61	1.00%	255.49
3	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	235/11.10.2020	रेत	11426.57	1.00%	114.27
4	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	235/11.10.2020	बजरी	21638.1	1.00%	216.38
5	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	240/01.11.2020	रेत	12952.4	1.00%	129.52
6	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	240/01.11.2020	बजरी	32381	1.00%	323.81
7	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	238/01.11.2020	रेत	12142.87	1.00%	121.43
8	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	238/01.11.2020	बजरी	23314.32	1.00%	233.14
9	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	204/2.08.2020	रेत	25095.27	1.00%	250.95
10	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	204/2.08.2020	बजरी	15704.78	1.00%	157.05
11	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	201/02.08.2020	रेत	12061.92	1.00%	120.62
12	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	201/02.08.2020	बजरी	8419.06	1.00%	84.19
13	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	239/01.11.2020	रेत	14409.54	1.00%	144.10
14	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	239/01.11.2020	बजरी	36914.34	1.00%	369.14
15	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	256/11.11.2020	रेत	12142.87	1.00%	121.43
16	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	256/11.11.2020	बजरी	22261.94	1.00%	222.62
17	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	267/03.12.2020	रेत	21857.17	1.00%	218.57
18	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	267/03.12.2020	बजरी	19428.66	1.00%	194.29
19	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	267/03.12.2020	बोल्डर	12571.44	1.00%	125.71
20	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	122/12.02.2020	रेत	11276.19	1.00%	112.76
21	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	122/12.02.2020	बजरी	21333.34	1.00%	213.33
						4036.42